बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (नालन्दा) 02–71/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, नालंदा के पत्रांक–1250, दिनांक–31.08.2024 द्वारा प्राप्त आरोप–पत्र के आधार पर **श्री रामायण कुमार, अंचल अधिकारी, बिन्द, नालंदा** के विरूद्ध चिकित्सीय कारणों से दिनांक 15.07.2024 से 04.08.2024 तक अवकाश का आवेदन देकर मुख्यालय से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य जाँच कराने हेतु उन्हें 02 बार संसूचित किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने जैसी शिकायतें प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–181(15), दिनांक–20.02.2026. द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के कार्यालय अंचल अधिकारी, बिन्द, नालन्दा के पत्रांक–238 दिनांक–24.02.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों यथाः– स्वंय की बीमारी का हवाला देते हुए मात्र आवेदन देकर वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अनधिकृत रूप से अवकाश में प्रस्थान / उपभोग किया गया है। किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर अवकाश में प्रस्थान करना होता है न कि मात्र आवेदन देकर अवकाश में मुख्यालय से प्रस्थान करना होता है। श्री कुमार द्वारा दिनांक–15.07.2024 से 04.08.2024 तक मात्र अवकाश का अभ्यावेदन देकर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के वगैर दिनांक–29.09.2024 तक अवकाश की उपभोग किया गया है। श्री कुमार द्वारा अवकाश के विस्तार हेतु भी कोई अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है।

बिहार सेवा संहिता, के नियम–152 में प्रावधानित है कि छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है परंतु श्री कुमार द्वारा अवकाश का मात्र अभ्यावेदन समर्पित कर सक्षम प्राधिकार द्वारा बगैर अवकाश स्वीकृत, कराये अवकाश में प्रस्थान उपभोग किया गया है जो बिहार सेवा संहिता के नियम–152) का उल्लंघन है।

यद्यपि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों यथाः चिकित्सीय कारणों से मात्र अभ्यावेदन समर्पित कर वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अवकाश में प्रस्थान / उपभोग किया गया है तथापि मात्र अभ्यावेदन समर्पित कर वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अनधिकृत रूप से अवकाश में प्रस्थान / उपभोग किया, जाना बिहार सेवा संहिता के नियम–152 का उल्लंघन है क्योंकि किसी भी सरकारी सेवक को श्अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर प्रस्थान करना होता है न कि अवकाश की स्वीकृति का अभ्यावेदन मात्र देकरं। इस स्तर पर ओरोपी पदाधिकारी द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम–152 का उल्लंघन करते हुए उक्त चूक की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार **श्री रामायण कुमार, अंचल अधिकारी, बिन्द, नालंदा** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–71/2025–517 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 10-4-26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री रामायण कुमार, अंचल अधिकारी, बिन्द, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।